(d) what steps Government propose to take to curb the unlawful activities of FEDAI ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) is an organisation of all authorised dealers in foreign exchange (including public sector banks), which is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956. One of the major objects of the Association is to regulate foreign exchange dealings by framing rules from time to time, with the prior approval of the R.B.I., for the conduct of foreign exchange business. The members are required to abide by the Constitution of the Association, all decisions of the General Body and/or the Managing Committee of the Association and all rules framed for the conduct of foreign exchange business.

(b) Shri V. Anantkrishnan is presently the Chief Executive of FEDAI appointed by the Managing Committee of FEDAI in terms of rules and regulation of FEDAI. His term has been extended for a period of three years from 1st March, 1988 by the Managing Committee *vide* their Resolution dated 9th February, 1988. The Affairs of the Association is managed by a Managing Committee consisting of member banks (Authorised Dealers) under Section 8 of the Constitution of FEDAI.

(c) and (d) Reserve Bank of India has reported that it is not aware of FEDAI encouraging any foreign exchange stock broker firms to adopt restrictive practices in respect of employees working with them wishing to change jobs.

विस्थापित व्यक्तियों को सेलम इस्पात संयंत्र में नौकरी दिया जाना

3421. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा परन्तु अब तक केवल 300 लोगों को ही नौकरी दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो शेष विस्थापित परिवारों के सदस्यों को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा । तथापि, कुल लगभग 1114 गैर-कार्यपालक कर्मचारियों में से 199 कर्मचारी विस्थापित परिवारों के हैं ।

सेलम इस्पात कारखाना छोटा है, इसलिए इसमें रोजगार के अवसर सीमित हैं और ये धीमी गति से होते हैं ।

विस्थापित परिवारों को रोजगार देने की विषय को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष जन-शक्ति के सृजन से बचने के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए ।

बोकारो इस्पात संयंत्र से रोपवे का अंतरित किया जाना

3422. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सस्ती दरों पर वाशरी तक कोयला पहुंचाने के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र से दुग्गा कोल वाशरी तक एक रोपवे 10 वर्ष पहले बनाया गया था परन्तु भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, श्री रामाकृष्णन ने अपने चहेते ठेकेदारों को परिवहन का काम प्रदान करने के उद्देश्य से रोपवे को बंद कर देने का आदेश दे दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने यह आदेश भी दिया कि रोपवे को बोकारो से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए;

(ग) "पोल" लगाने पर कितनी लागत आयी और उनको हटा कर दूसरी जगह लगाने पर कितनी लागत आई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं । रज्जुमार्ग, लदे कोयले की भारी मात्रा की घनत्वता के लिए निरूपित सुविधा के अनुपयुक्त हो जाने तथा बकेट पद्धति के समस्यामूलक बन जाने के कारण अप्रचालनीय हो गया है । रज्जू-मार्ग के ठप्प हो जाने के दौरान भारतीय रेलवे कोयले की ढुलाई कर रहा है ।

(ख) कुटेश्वर खानों में रज्जूमार्ग के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था जो खर्चीला पाया गया और इसलिए उसे त्याग दिया गया । अतः रज्जुमार्ग को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वास्तव में इसके पुनः प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) उपरोक्त "क" और "ख" भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र से स्क्रैप उठाने का ठेका श्री अरविन्द जायसवाल को दिया जाना

3423. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर इंजीनियरिंग वर्क्स, नागपुर के एक मालिक श्री अरविन्द जायसवाल को भिलाई इस्पात संयंत्र का 90 प्रतिशत स्क्रैप उठाने का ठेका दिया गया है जिसके द्वारा उसने करोड़ों रुपये कमाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों ने कुछ समय पहले श्री जायसवाल को दिवालिया घोषित किया था; और

(ग) यदि हां, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधक वर्ग ने उसे स्क्रैप उठाने का ठेका किन आधारों पर दिया ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने ने मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ न तो कोई अनुबन्ध किया है और न ही उसे स्क्रैप माल की बिक्री की है ।

तथापि, वर्ष 1989-90 तथा चालू वर्ष के दौरान मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः 150 मी. टन तथा 600 मी. टन स्क्रैप की कुछ मात्रा की बिक्री की गयी है । श्री अरविन्द जायसवाल मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लि., नागपुर के प्रबन्ध-निदेशक हैं । धमन भट्ठी धातु-मल ढेर से लौह स्क्रैप की पुनर्प्राप्ति, स्थानान्तरण तथा ढुलाई से सम्बन्धित कार्यों का ठेका अप्रैल, 1990 से खुली निविदा के अन्तर्गत उच्चतम बोली की स्वीकृति के आधार पर मेसर्स कारपोरेट इस्पात अलायस (प्रा.) लि., को दिया गया है । श्री अरविन्द जायसवाल मेसर्स कारपोरेट इस्पात अलायस (प्रा.) लि. के अंशधारी हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Programme for Mineral Excavation in Madhya Pradesh

3424. SHRI AJIT P. K. JOGI :
KUMARI ALIA :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 371 given in the Rajya Sabha on the 28th December, 1989 and state :

(a) what is the programme for mineral excavation during 1990-91 under Central and State sectors separately in Madhya Pradesh;